न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 01/2022
प्रविष्टि दिनांक 17.01.2022

श्रीमति शकुन्तला पत्नि प्रभूदयाल जाति जाट निवासी बमोर हाल निवासी शास्त्री नगर टोंक तहसील व जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार टोंक जिला—टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार टोंक दिनांक 02.12.2021 मिसल नम्बर 89/2021

उपस्थिति : (1) श्री महेश शर्मा,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय

दिनांक 29.06.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 02.12.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1471 रकबा 12 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम बमोर तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 6/रू. पेनल्टी कायम कर आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का भलीभांति अवलोकन के बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का विवेचन निर्णय मे नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट तलब की गई,वह अपीलांट की अनुपस्थिति मे तैयार की गई है। पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट गलत बनाई गई है। अधीनस्थ न्याय[illegible] समक्ष अपना जवाब दिनांक 13.08.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि [illegible] नम्बर 1658 के कुछ भाग मे पेट्रोल पंप स्थापित किया गया है तथा उक्त भूमि के [illegible] लगवा रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 1471 है,जिस पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.12.2016 से अपी[illegible] को बेदखल करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:26:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

आदेश पारित किये जाने के उपरान्त अपीलांट द्वारा उक्त पारित आदेश की अपील न्यायालय हाजा मे पेश करने पर न्यायालय हाजा द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.01.2018 से अपील अपीलांट स्वीकार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे अपीलांट द्वारा गै0मु0 रास्ते के किस भू–भाग पर अतिक्रमण किया का उल्लेख नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अन्य लोगो द्वारा की गई झूठी शिकायतो के आधार पर पर जान बूझकर परेशान करने की गरज से उसके विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1471 रकबा 12 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम बमोर तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है।अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से प्रभू की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1471 रकबा 25 X 34 व 50 X 33 वर्गफीट किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम बमोर तहसील टोंक पर अतिक्रमण कर बाडा व पक्की दोनो तरफ दीगर व लोहे के पिल्लर लगाकर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व मे भी अपने आदेश दिनांक 05.12.2016 से उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने के आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 02.12.2021 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(... गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक राजस्थान
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:26:46 IST
Reason: SelfAttested